उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 अंक 5 1-15 मार्च 2021 ₹ 20/-

कुरान से विवादित आयतों को हटाने की मांग पर हंगामा

- अब्बास सिद्दीकी से गठजोड़ पर कांग्रेस में घमासान
- पोप के इराक दौरे से नए संकेत
- स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध
- तेलंगाना वक्फ बोर्ड की आय में 109 करोड़ की वृद्धि

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

कुरान से विवादित आयतों को हटाने की मांग पर हंगामा 04
ओवैसी ने गुजरात में पसारे पांव 08
मौलाना अरशद मदनी सातवीं बार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष घोषित 10
बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 562 करोड़ का बजट मंजूर 11
पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी से गठजोड़ पर कांग्रेस में घमासान 13

विश्व

इमरान सरकार को विश्वास प्रस्ताव पर मिली जीत 16
स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध 18
अफगानिस्तान में तालिबान के बड़े हमले का खतरा 19
अमेरिका में ग्रीन कार्ड पर प्रतिबंध समाप्त 21
सोमालिया में इस्लामिक आतंकवादियों का हमला 22

पश्चिम एशिया

पोप के इराक दौरे से नए संकेत 23
खशोग्गी हत्या मामले में सऊदी युवराज की भूमिका पर अमेरिका नरम 25
सऊदी अरब में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान 27
बाइडेन द्वारा ईरान पर लगे प्रतिबंधों में विस्तार 27
हज पर जाने के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य 29

अन्य

मलेशिया में गैर मुस्लिमों को अल्लाह शब्द इस्तेमाल करने की अनुमति 30
इस्लामिक पुरावशेषों की नीलामी पर प्रतिबंध 30
सऊदी युवराज को भारत आने का निमंत्रण 31
तेलंगाना वक्फ बोर्ड की आय में 109 करोड़ की वृद्धि 31
नाइजीरिया में अपहृत छात्राएं रिहा 32

सारांश

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख सैयद वसीम रिजवी हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं। हाल ही में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके कुरान शरीफ की उन 26 विवादित आयतों को हटाने की मांग की है, जिनमें गैर मुसलमानों की हत्या और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने को शरीयत के अनुसार जायज करार दिया गया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि ये आयतें मूल कुरान में शामिल नहीं थीं। इन्हें बाद में उसमें जोड़ा गया है। कुरान की ये आयतें कुरान की मूल भावना शांति, सद्भावना और साम्प्रदायिक सौहार्द्र के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इन आयतों के कारण देश में साम्प्रदायिक अशांति, हिंसा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होने की संभावना है, इसलिए इन्हें कुरान शरीफ से हटाए जाने का न्यायालय को निर्देश देना चाहिए। उनके द्वारा इस याचिका को दायर करते ही मुस्लिम समाज में उनके खिलाफ जबर्दस्त विरोध उत्पन्न हो गया है। समाचारपत्रों के अनुसार जगह-जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अनेक मुस्लिम संगठनों ने उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की भी घोषणा की है। मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि कोई भी अदालत, सरकार या कोई अन्य संगठन कुरान में किसी भी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं रखता है। क्योंकि यह पुस्तक अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल की थी। उनका यह भी कहना है कि जो भी व्यक्ति कुरान पाक के किसी भी अंश पर संदेह व्यक्त करता है वह स्वत: ही इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए अब वसीम रिजवी का इस्लाम से कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि इससे पूर्व भी इस मामले को कोलकाता के चांदमल चोपड़ा और दिल्ली के श्री इंद्रसेन भी न्यायालयों में उठा चुके हैं। मगर कठिनाई यह है कि मुसलमान कुरान के वर्तमान स्वरूप को अंतिम मानते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

विश्व परिप्रेक्ष्य में ईसाई और मुसलमान सैकड़ों वर्षों की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के नजदीक आने का प्रयास कर रहे हैं। कैथोलिक ईसाईयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस इस दिशा में काफी सक्रिय हैं। 2019 में ईसाई इतिहास में पहली बार पोप ने अनेक अरब देशों का सरकारी दौरा किया था। इसके बाद पोप ने यह निर्देश दिया था कि ईसाई पादरी अरब के मुस्लिम देशों में धर्मांतरण का काम न करें। अब हाल ही में पोप ने पुन: इराक का तीन दिवसीय राजकीय दौरा किया है। इराक के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद ईसाई इतिहास में पहली बार एक पोप शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु अयातुल्लाह सिस्तानी से मिलने के लिए सभी परम्पराओं को तोड़कर स्वयं उनके घर गया।

पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनाव से पूर्व वहां की मशहूर दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का हाथ झटककर एक नई राजनीतिक पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट का गठन करके वाम दलों और कांग्रेस के साथ जो चुनावी गठबंधन किया है वह मुस्लिम समाचारपत्रों में चर्चा और आलोचना का केन्द्र बना हुआ है।

गुजरात नगर निकाय के चुनावों मे भी मजलिस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। पहली बार ओवैसी की इस पार्टी ने अहमदाबाद की सात सीटों पर विजय प्राप्त की है। इस पार्टी ने इस चुनाव में 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अब तक यह तेलंगाना के अतिरिक्त चार अन्य राज्यों में भी अपने पैर पसार चुकी है। हालांकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसे सफलता नहीं मिली थी।

राष्ट्रीय

कुरान से विवादित आयतों को हटाने की मांग पर हंगामा

मुंबई उर्दू न्यूज (12 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके कुरान से 26 विवादित आयतों को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन आयतों के कारण देश की एकता और भाईचारे को खतरा है, इसलिए इनको हटाया जाए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ये 26 आयतें बाद में जोड़ी गई हैं। समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार याचिका में यह दावा किया गया है कि पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के निधन के बाद पहले खलीफा हजरत अबु बक्र ने चार लोगों को पैगम्बर-ए-इस्लाम पर नाजिल हुए अल्लाह पाक की तरफ से आयत कुरानी को एक पुस्तक की शक्ल में जमा करने को कहा था। तब तक हजरत मोहम्मद के जुबान से निकलने वाली इन आयतों को वंशानुगत रूप से लोग जुबानी याद करते आ रहे थे। पहले खलीफा ने उनलोगों को यह जिम्मेवारी दी जो हजरत मोहम्मद के साथ रहते थे। असल बुखारी के अनुसार अबी बिन कैफ, मुआज बिन जुबल, जाहिद बिन साबित और अबु जाहिद को यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी। इस समय तीन अन्य लोगों को भी सर्वसम्मति से हाफिज कुरान (कुरान को याद करने वालों) से आयतों को लिखने की जिम्मेवारी जाहिद बिन साबित को दी थी। कुरान-पाक लिख दिया गया और इसे हजरत मोहम्मद की चौथी पत्नी और दूसरे खलीफा हजरत उमर की पुत्री हजरत हफ्सा के हाथ सौंप दिया गया। फिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के काल में विभिन्न लोगों के लिखे हुए 300 से अधिक कुरान प्रचलित हुए। तब खलीफा हजरत उस्मान ने कुरान पाक की मूल कॉपी के लेखक हजरत जाहिद बिन साबित से कहा कि वे हजरत हफसा से मांग कर वास्तविक पुस्तक की प्रतिलिपि अपने सहयोगियों अब्दुल्ला बिन जाबिर, जाहिद बिन

इल्यास और अब्दुल रहमान बिन हारिस के सहयोग से तैयार करें। इस समय इस्लाम को तलवार के जोर से फैलाने का अभियान चल रहा था।

वसीम रिजवी ने यह तर्क दिया है कि इन 26 आयतों को बाद में जोड़ा गया। ये आयतें मानवता के बुनियादी मूल्यों के विपरीत है। ये आयतें नफरत के आधार पर हिंसा, हत्या, खून-खराबा फैलाने वाली हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि तीसरे खलीफा के काल में जब इस्लाम को और मजबूती से फैलाने का अभियान चला तब भी इस्लामिक जगत में कुरान शरीफ के अनेक प्रारूप प्रचलित थे। असल बुखारी के अनुसार इस समय तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने पुराने कुरान शरीफ की प्रतिलिपि लिखवाई और उस समय प्रचलित अन्य कुरान शरीफ के प्रारूपों को अवैध घोषित कर दिया गया। तीसरे खलीफा द्वारा तैयार करवाई गई कुरान की प्रतिलिपि ही आज तक मान्यता प्राप्त है और उसी का प्रचलन है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने भाईचारे, प्रेम, सद्भावना, न्याय और समता की बातें कही है तो वे इन 26 आयतों में कत्ल व गारत, नफरत और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बातें कैसे कह सकते हैं? इन्हीं आयतों का सहारा लेकर मुस्लिम नौजवानों का ब्रेनवाश किया जा रहा है। उनको जिहाद के नाम पर भड़काया, बहकाया और उकसाया जा रहा है। इनके कारण ही देश की एकता और अखंडता पर खतरा है। याचिका दायर करने से पूर्व रिजवी ने वास्तविक प्रश्न और याचिका से संबंधित दस्तावेज को देश भर के 56 पंजीकृत इस्लामिक संगठनों, जमातों, संस्थानों और दीनी मदरसों को भेजा था और उनसे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को कहा था। मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। संभवत: अगले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर विचार कर सकती है।

संशोधन की मांग का जबर्दस्त विरोध

जैसी संभावना थी कुरान पाक से 26 विवादित आयतों को हटाने की मांग उठते ही मुस्लिम समाज में उसके खिलाफ जबर्दस्त विरोध और हंगामा शुरू हो गया है। उर्दू अखबारों के खबरों के अनुसार जगह-जगह वसीम रिजवी के पुतले जलाए जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 मार्च) के अनुसार मुंबई की रजा अकादमी ने वसीम रिजवी की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। अकादमी के संस्थापक मोहम्मद सईद नूरी ने मुंबई में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वसीम रिजवी शुरू से ही देश में दंगे भड़काने की साजिश रचने में लगे हुए हैं। अब तो उन्होंने हद कर पार दी और कुरान पाक को अपना निशाना बना डाला। उनहोंने कहा कि कुरान की रक्षा के लिए हम भी न्यायालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी देश में दो फिरकों को लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

दैनिक इंकलाब ने वसीम रिजवी के विरोध में 13 मार्च के अंक में छह समाचार प्रकाशित किए हैं। एक समाचार के अनुसार थाना निजामुद्दीन (दिल्ली) में वसीम रिजवी के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी गई है जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि वे लोगों की भावनाओं को भड़काकर देश की मुस्लिम एकता को तार-तार करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं

निजामुद्दीन में हुए एक विरोध प्रदर्शन में वसीम रिजवी का पुतला फूंका गया।

एक अन्य समाचार के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना वली रहमानी ने कहा है कि उनकी संस्था रिजवी की याचिका का न्यायालय में विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि कुरान में किसी भी तरह का परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं है। इन मामलों में मुसलमानों के सभी फिरके एक मत हैं और उनमें कोई मतभेद नहीं है। एक अन्य समाचार में यह भी कहा गया है कि यह याचिका वसीम रिजवी ने कुछ सिक्कों के लिए आरएसएस और यहूदियों को खुश करने के लिए दायर की है।

समाचारपत्र ने इस संदर्भ में एक संपादकीय भी प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि कुरान को अल्लाह ने उतारा है और वही इसके रक्षक हैं। इस स्पष्ट ऐलान के बाद यदि कोई घटिया व्यक्ति इस्लाम दुश्मन ताकतों के इशारे पर कोई फितना पैदा करने की कोशिश करता है तो वह मुसलमानों के दिल पर तो चोट कर सकता है मगर कुरान को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। संपादकीय में यह आशा व्यक्त की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका को रद्दी की टोकरी में डाल देगी।

रोजनामा सहारा (13 मार्च) में भी इस संदर्भ में कई समाचार प्रकाशित हुए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लाम के एक दर्जन से अधिक विद्वानों ने एक फतवा जारी करते हुए कहा है कि कुरान शरीफ जैसा है वैसा ही कयामत तक रहेगा। उसमें किसी तरह का परिवर्तन करने का किसी भी न्यायालय या सरकार को अधिकार नहीं है। एक अन्य समाचार के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह पर मुसलमानों ने वसीम रिजवी की निंदा की और उनके पुतले जलाए।

अवधनामा (13 मार्च) के अनुसार शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने वसीम रिजवी की याचिका की निंदा करते हुए उसे इस्लाम और शियाओं के खिलाफ बताया है और कहा है कि वसीम रिजवी को शिया पहले ही अपने फिरका से खारिज कर चुके हैं।

कौमी तंजीम (13 मार्च) के अनुसार बिहार शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने वसीम रिजवी की याचिका पर टिप्पणी करते हुए उन्हें मुस्लिम और शिया विरोधी करार दिया है और कहा है कि वे भारत के सलमान रूश्दी हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 मार्च) के अनुसार मजलिस उलेमा-ए-हिंद के महामंत्री और विख्यात शिया विद्वान मौलाना कल्बे जवाद ने वसीम रिजवी को लानती और नापाक करार देते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वे देश भर में उनकी गिरफ्तारी की मांग करें। वसीम रिजवी का इस्लाम और शिया से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस्लाम दुश्मन रिजवी के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कुरान पाक से 26 विवादित आयतों को हटाने की बात कही है।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 13 मार्च के संपादकीय में कहा है कि इससे पूर्व भी कुछ लोग कुरान पाक में संशोधन की मांग उठा चुके हैं। चांदमल चोपड़ा इसका उदाहरण है। उसने भी यही मांग की थी और न्यायालय ने उसकी अर्जी उसके मुंह पर दे मारी थी। लेकिन चांदमल चोपड़ा और वसीम रिजवी में एक बड़ा फर्क है। चांदमल चोपड़ा एक गैर मुसलमान था और वसीम रिजवी एक मुसलमान है। वसीम रिजवी कुरान में संशोधन की मांग करके इस्लाम से स्वयं खारिज हो गया है।

समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि रिजवी कुछ लोगों की हाथ की कठपुतली बना हुआ है और इस्लाम और कुरान को बदनाम कर रहा है।

इत्तेमाद (13 मार्च) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है- 'इस्लाम की शान में घटिया वसीम रिजवी की गुस्ताखी पर मुस्लिम समाज में आक्रोश'। कुरान की रक्षा के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड और रजा अकादमी की न्यायालय जाने की तैयारी। मुसलमानों के सभी फिरकों द्वारा रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि रिजवी समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़वाने का प्रयास कर रहा है।

अवधनामा (13 मार्च) के अनुसार मजलिस उलेमा खताबा इमामिया, बिहार के महामंत्री मौलाना अमानत हुसैन और फलाही ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना मुराद रजा ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में वसीम रिजवी की बदतरीन हरकत की निंदा करते हुए कहा है कि मुसलमानों को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वसीम रिजवी का शिया कौम से कोई संबंध नहीं है और पूरी शिया कौम इसके बहिष्कार की पहले ही घोषणा कर चुकी है। यह बदनाम व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरह का हरकत कर रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 13 मार्च के अंक में वसीम रिजवी के विवाद का विश्लेषण करते हुए कहा है कि अब यह साफ है कि वसीम रिजवी मुसलमान नहीं है। कुरान की एक भी आयत पर जब कोई व्यक्ति शक करता है तो वह कुफ्र के दरवाजे पर पहुंच जाता है तो भला कई आयतों के खिलाफ जहर उगलने वाला यह रिजवी कैसे मुसलमान बाकी रह सकता है? इसके बारे में मेरी मुसलमानों से यह अपील है कि वे इसका बहिष्कार करें। जलील रिजवी कुरान की आयतों को खत्म कराने निकला है। यह अल्लाह के खिलाफ जंग कराने निकला है। यह खुद भस्म हो जाएगा, मर-मिट जाएगा। वह जालसाज, घपलेबाज, फ्रॉड और आपराधिक मामलों में घिरा हुआ सबसे जलील व्यक्ति है। इसलिए किसी मुसलमान को इससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 मार्च) के अनुसार मुंबई के नजफी हाउस में मजलिस-ए-उलेमा हिंद का आपातकालीन अधिवेशन मौलाना सैयद जहीर अब्बास रिजवी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति कुरान के किसी अंश पर संदेह व्यक्त करता है वह स्वतः ही इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्योंकि यह सोचना ही शरियत और मिल्लत इस्लामिया के स्पष्ट दृष्टिकोण के खिलाफ है। इस बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि वसीम रिजवी का हर मुसलमान सामाजिक बहिष्कार करे और उससे कोई संबंध न रखे।

टिप्पणी : कुरान की ये 26 आयतें काफी समय से विवादित चली आ रही हैं। क्योंकि इनमें काफिरों और मुशरिकों (बहु देवता पूजकों), सर्कों (अल्लाह को न मानने वालों) की हत्या और उन्हें गुलाम बनाना एवं उनकी संपत्ति को लूटना इस्लामिक दृष्टि से जायज करार दिया गया है। इससे पूर्व इस संदर्भ में कोलकाता के चांदमल चोपड़ा और दिल्ली के इंद्रसेन ने भी न्यायालय में इन विवादित आयतों को कुरान से हटाने के संबंध में याचिका दायर की थी। यह विवाद लम्बे समय से चला आ रहा है। इस्लामिक विद्वानों का कहना है कि "यह वह पहली उस्मानी किताब है जिसकी रक्षा का जिम्मा स्वयं अल्लाह ने लिया है। कुरान में शुरा अल इमरान में कहा गया है कि अल्लाह

निश्चित रूप से कभी वादा खिलाफी नहीं करते। इस तरह से इसके शब्द भी सुरक्षित हैं और इसके मायने भी सुरक्षित हैं। इसकी लिपि भी सुरक्षित है, इसका स्वरूप भी सुरक्षित है और इसकी भाषा भी सुरक्षित है। जिन महान हस्ती पर अल्लाह ने इसे नाजिल किया था उसकी सीरत भी सुरक्षित है। अल्लाह ने इसकी सुरक्षा के लिए जितने प्रयास और साधन संभव हो सकते थे उन सबको अपनाया। इस तरह से यह पवित्र पुस्तक हर दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित हो गई। अल्लाह की कृपा से आज 1429 साल गुजरने के बाद भी इसमें नाम मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं हो सका। जो लाख कोशिशें इस दिशा में की गईं इनमें कोई भी सफल और कारगर सिद्ध नहीं हुई और न यह कयामत तक हो सकती है।" मुसलमानों के सभी फिरके और विचारधाराएं इस बात पर दृढ़ आशा रखती हैं कि कुरान में न कभी तब्दीली हुई है और न कभी आगे होगी। वह आज तक सुरक्षित है और कयामत तक सुरक्षित रहेगी। उर्दू अखबारों ने वसीम रिजवी की कड़ी आलोचना करते हुए उनके बारे में कई शब्द इस्तेमाल किए हैं और यह दावा किया है कि वसीम रिजवी की हरकतें अब तक गैर-इस्लामी और मुस्लिम धर्म के खिलाफ रही हैं। कभी उन्होंने दीनी मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया था और कभी उन्होंने विश्व भर के मुसलमानों की मां (अम अल मोमनिन) हजरत आयशा की शान मे भी गुस्ताखी करने की कोशिश की थी।

ओवैसी ने गुजरात में पसारे पांव

इत्तेमाद (24 फरवरी) के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात के अहमदाबाद नगर निकाय के चुनाव में सात सीटें जीत कर गुजरात की राजनीति में अपने पैर पसारने का दावा किया है। ओवैसी ने अहमदाबाद में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मजलिस गुजरात में राजनीतिक रिक्तता को पूरा करेगी। उनके साथ गुजरात के मजलिस अध्यक्ष साबिर काबलीवाला भी थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के सहयोग से भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाएगी। उन्होंने कहा कि हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम पटेल बिरादरी को भी अपने साथ जोड़ें। उन्होंने यह दावा किया कि गुजरात में भाजपा और कांग्रेस की आपस में नूराकुश्ती हो रही है। गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है। उनकी पार्टी ने इस चुनाव में 21 उम्मीदवार खड़े किए थे जिनमें से 7 उम्मीदवार जीते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 फरवरी) के अनुसार हिंदुस्तान की राजनीति दिन-प्रतिदिन शोषण और घृणा का प्रचार करने वाली बनती जा रही है। इसलिए देश की राजनीति में मानवता और नैतिकता की सीमाओं को भी भुला दिया गया है।

राजनीति एक पेशा बन गई है। वर्तमान मूल्यहीन राजनीति का शिकार मुसलमान इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि वे कमजोर और बेबस हैं। मुसलमानों को कमजोर और बेबस बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने देश के विभाजन के बाद इस देश में रह जाने वाले मुसलमानों को मजबूर, लाचार और बेबस बनाने में शैतानी भूमिका अदा की। आज देश भर में जो सामाजिक और राजनीतिक तांडव हो रहा है उसके कारण मुसलमान और दलित सुरक्षित नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर इनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा बनाने के लिए वर्तमान सरकार और उसके कर्मचारी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। कांग्रेस की 'शातिर ब्राह्मणी सियासत' ने ही देश में झूठ-फरेब और लालच पर आधारित राजनीति की। सच तो यह है कि इस वक्त जो जुनूनी और खूनी राजनेता सत्ता में हैं उन्हें सत्ता में लाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। आरएसएस ने अपनी शैतानी ताकत से देश के सबसे पिछड़े वर्ग दलितों से भी मुसलमानों को नीचे पहुंचा दिया है। मुसलमानों ने देश के विभिन्न राज्यों में कभी मुलायम सिंह, कभी लालू और कभी नीतीश को अपना मसीहा समझा। मगर वे यह भूल गए कि किसी कांटे वाले पेड़ से मीठे फल की आशा करना फिजूल है। मुसलमान हमेशा हर राज्य में मुस्लिम नेतृत्व की जरूरत महसूस करते रहे। यही कारण है कि जब भी कोई मुसलमान राजनेता मैदान में आया तो मुसलमानों ने उसे हाथों-हाथ लपक लिया। लेकिन समय आने पर इन्होंने मुसलमानों के वोट तो बटोर लिए मगर उनको सुरक्षा प्रदान करने और उनकी स्थिति को उन्नत करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। गुजरात के हाल के नगर निकाय चुनावों में मुसलमानों ने एक बार फिर ओवैसी का दामन थामा है। मगर क्या ओवैसी मुसलमानों की आशाओं पर खरा उतरेंगे? अभी इसके बारे में कुछ भी दावे से कहना गलत होगा। यह ओवैसी के लिए परीक्षा की घड़ी है।

इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखपत्र **इत्तेमाद** ने 3 मार्च के संपादकीय में कहा है कि गुजरात नगर निकाय के चुनाव में मजलिस ने नया सफर शुरू किया है। मजलिस ने 1957 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। यह सफर कोई आसान नहीं था। मजलिस की राह में कई तरह की रूकावटें खड़ी की गईं। लेकिन इन मुसीबतों ने कभी भी उसके नेतृत्व के हौसलों को दबाने की हिम्मत नहीं की। जितनी सख्ती से उसे दबाया गया उतनी तेजी से वह उभरी। इसका नतीजा यह है कि आज न सिर्फ मजलिस हैदराबाद-तेलंगाना बल्कि देश के कई राज्यों में फैल चुकी है। मजलिस एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि देश भर में एक सोच और राजनीतिक चिंतन बन चुकी है। देशभर के पीड़ित विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और दलितों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अल्पसंख्यक, दलित और कमजोर वर्ग अपने लिए न्याय पाने और अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए मजलिस के झंडे तले इक्ट्ठे हों।

टिप्पणी : इस समय मजलिस देश के अनेक राज्यों में पैर पसार चुकी है। इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार का सीमांचल शामिल है। मजलिस ने पश्चिम बंगाल के चुनावों में अन्य मुस्लिम दलों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने का जो प्रयास किया था वह पूरी तरह से विफल रहा है। फुरफुरा दरगाह के प्रमुख अब्बास अली सिद्दीकी पर ओवैसी ने जो दांव

लगाया था वह उल्टा पड़ा है और अब्बास सिद्दीकी ओवैसी का दामन झटककर कांग्रेस-लेफ्ट के संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गए हैं। इसके अतिरिक्त ओवैसी असम, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी अपने कदम जमाने का प्रयास कर रहे हैं।

मौलाना अरशद मदनी सातवीं बार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष घोषित

हमारा समाज (10 मार्च) के अनुसार भारतीय मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निरंतर सातवीं बार मौलाना अरशद मदनी को घोषित किया गया है। यह फैसला जमीयत की कार्यसमिति की बैठक में किया गया। इसके साथ ही संगठन ने सदस्यता अभियान भी शुरू करने की घोषणा की। समाचारपत्र के अनुसार इस समय जमीयत के एक करोड़ 15 लाख सदस्य हैं, जबकि इस वर्ष इनमें भारी वृद्धि होने की संभावना है। समाचारपत्र का दावा है कि दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित होने वाले मुसलमानों में जमीयत उलेमा ने जो कार्य किया है उसके कारण देश के मुसलमानों में उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। यही एक मात्र ऐसा संगठन है जिसने आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए मुसलमानों को कानून के चंगुल से बचाने के लिए जबर्दस्त अभियान चलाया, जिससे सैकड़ों लोग न्यायालय में निर्दोष साबित किए गए। मुसलमान छात्रों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए इस वर्ष छात्रवृत्तियों की धनराशि 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है। इन छात्रवृत्तियों के लिए देश भर में छह सौ मुस्लिम छात्रों का चयन किया गया है।

कार्यसमिति को संबोधित करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को अपने पेट पर पत्थर बांधकर बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। क्योंकि सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में दलितों से भी पीछे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस्लाम और कुरान से अपने नजदीकी संबंध बनाए रखना चाहिए। मौलाना ने कहा कि देश के वर्तमान हालात मुसलमानों और दलितों के लिए बेहद खतरनाक हो चुके हैं। एक ओर जहां संविधान और कानून को खत्म करने की साजिश की जा रही है। वहीं न्यायपालिका और न्यायतंत्र को भी समाप्त करने का खतरनाक प्रयास किया जा रहा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही जमीयत 'संघ मुक्त भारत' का अभियान चला रहा है।

क्या है जमीयत उलेमा?

राजनीतिक क्षेत्रों में जमीयत उलेमा को कांग्रेस की बी टीम कहा जाता है। क्योंकि इसके सभी प्रमुख नेता कांग्रेस के टिकट पर संसद और विधान सभाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। कांग्रेस इस

संगठन का इस्तेमाल मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए करती आई है।

पृष्ठभूमि

जमीयत उलेमा के नेता हालांकि यह दावा करते आए हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि यह संगठन प्रारम्भ से ही वहाबी अतिवादी इस्लामिक विचारधारा का पोषक रहा है। इसलिए इसका लक्ष्य भारत में फिरंगी हुकूमत का तख्ता पलटकर इस्लामिक हुकूमत स्थापित करना था। सत्रहवीं सदी में जब इस देश में हिंदू पद पादशाही स्थापित हो गई तो इस देश में इस्लाम की पुनर्स्थापना करने के लिए वहाबी विचारधारा के एक प्रमुख वाहक अब्दुल हक दहलवी ने अफगानिस्तान के शाह अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमला करके मराठाशाही को समाप्त करने का लिखित निमंत्रण दिया था। 1919 में दिल्ली में आयोजित खिलाफत कांफ्रेंस में मौलाना महमूद हसन ने जमीयत उलेमा की स्थापना की थी और इसका पहला अध्यक्ष मुफ्ती आजम मौलाना किफायतुल्लाह को मनोनीत किया गया था। खास बात यह है कि 100 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी यह संगठन अभी तक मुफ्ती महमूद हसन की पारिवारिक जागीर बना हुआ है। देश भर में सुन्नी इस्लामिक धार्मिक शिक्षा की बागडोर इसी संगठन के हाथ में है। पौने दो सौ वर्ष से विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक धार्मिक संस्थान दारूल उलूम देवबंद पर इसी परिवार का कब्जा बना हुआ है। क्योंकि इस संस्थान से प्रशिक्षित इमाम देश भर के लाखों मदरसों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि जमीयत उलेमा के नेता जिस भी दल के पक्ष में चाहें इन इमामों की मदद से मुस्लिम जनता के वोट बटोर लेते हैं। ■

बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 562 करोड़ का बजट मंजूर

कौमी तंजीम (2 मार्च) के अनुसार बिहार विधान सभा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने अपने विभाग का 562 करोड़ का बजट पेश किया जिसे बाद में मंजूरी दे दी गई। मंत्री ने दावा किया कि नीतीश सरकार जनता के सभी वर्गों के साथ न्याय करना चाहती है और उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहती है। इसके लिए यह जरूरी है कि बजट में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के उत्थान के लिए समुचित धनराशि की व्यवस्था की जाए। 2004-5 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 3 करोड़ 45 लाख ही था जो कि नीतीश के सत्ता में आने के बाद 2019-20 में बढ़कर 253 करोड़ तक पहुंच गया था। अब इसमें दो गुना से भी ज्यादा की वृद्धि कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को शिक्षा देने के लिए 45 आवासीय छात्रावास निर्माण किए हैं, जिनमें 4500 से अधिक छात्र-छात्राएं निवास कर रहे हैं। सात नए होस्टलों का निर्माण जारी है। जबकि अन्य सभी जिलों में इन होस्टलों के निर्माण के लिए प्रशासन भूमि खोज रहा है। होस्टल के बेहतरीन प्रशासन के लिए रिपोर्ट ऑनलाइन करने के लक्ष्य से होस्टल

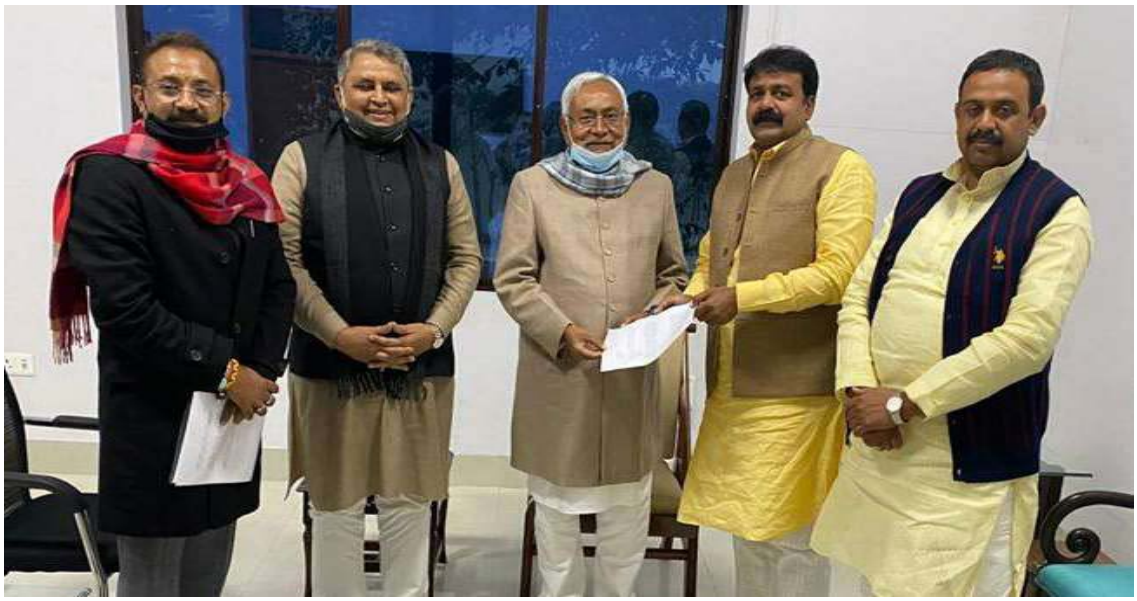

मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया है। मौलाना मुजाहिद हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय के सहयोग से जज भवन के अतिरिक्त छह जिलों पटना, भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, आरा और पश्चिमी चंपारण में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इससे अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को भारी लाभ हुआ है। बिहार संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इन कोचिंग केंद्रों से प्रशिक्षित 245 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था, जिनमे से 119 सफल हुए। बिहार लोक सेवा आयोग की फाइनल परीक्षा में 145 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इसी तरह से सिपाही और कार चालक के लिए भी 285 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को कोचिंग करवाया गया था, जिनमें से 190 सफल हुए। इसी तरह से 2019-20 में अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए 780 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें से 310 चुने गए।

कौमी तंजीम (5 मार्च) के अनुसार बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित होने वाले अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल और बहुउद्देशीय भवनों की शृंखला स्थापित करने के लिए राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री रहमान खान की सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद उल्लाह के साथ बैठक हुई, जिसमें इन परियोजनाओं को तेजी से शुरू करने और उन्हें पूर्ण करने की रूप रेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि इमामों और मुअज्जिनों को वक्फ बोर्ड द्वारा प्रत्येक महीने वेतन देने का निर्णय किया गया है। इसके तहत इमामों को 15 हजार और मुअज्जिनों को दस हजार मानक धनराशि दी जाएगी।

कौमी तंजीम (7 मार्च) के अनुसार राज्य सरकार ने इस धनराशि का भुगतान तुरंत करने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी कार्रवाई जल्द-से-जल्द की जा रही है। इमामों और मुअज्जिनों को इतनी बड़ी धनराशि मानदेय के रूप में देने वाला बिहार शायद देश का पहला राज्य है। अभी तक छह राज्यों में इमामों और मुअज्जिनों को वेतन दिया जा रहा है। इनमें तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी से गठजोड़ पर कांग्रेस में घमासान

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (3 मार्च) के अनुसार कांग्रेस ने जब से वाम मोर्चा और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) से गठबंधन किया है एक नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए बंगाल में फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी से कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने की आलोचना की है और उसे गांधी-नेहरू के समाजवाद की परंपराओं के खिलाफ बताया है और यह दावा किया है कि इससे साम्प्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई कमजोर होगी। हम चुन चुनकर राजनीति नहीं कर सकते। उधर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाल में हम इस गठबंधन का अटूट हिस्सा हैं क्योंकि इसी के द्वारा भाजपा की साम्प्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को पराजित किया जा सकता है। कांग्रेस ने अपने हिस्से की सीटें ले ली हैं और वामपंथी मोर्चे ने अपने कोटे से अब्बास सिद्दीकी की नेतृत्व वाली पार्टी को सीटें दी हैं।

इंकलाब (4 मार्च) के अनुसार अधीर रंजन के सख्त रुख को देखते हुए सिद्दीकी के तेवर नरम पड़े हैं। पहले वे कांग्रेस के खाते से 25 सीटें चाहते थे, मगर अब उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। ज्ञातव्य है कि वाम मोर्चा ने सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लिए 30 सीटें छोड़ी हैं। हाल ही में परेड मैदान में आयोजित जनसभा में सिद्दीकी और अधीर रंजन चौधरी के बीच गरमा-गरमी हो गई थी। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी ने कहा था कि वे वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन में भाग लेने के लिए आए हैं। किसी को खुश करने के लिए नहीं। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि सिद्दीकी के अनुसार कांग्रेस नहीं चलेगी। सिद्दीकी ने कहा कि हमें गरीब लोगों के लिए काम करना होगा, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। हमें परिवर्तन लाने के लिए मिलकर लड़ना होगा। हमने 40 सीटें वाम मोर्चे से मांगी थी, मगर उन्होंने हमारे लिए 30 सीटें छोड़ी हैं। वह एक बहुत बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमारी बातचीत चल रही है। आशा है कि विवाद सुलझ जाएंगे।

हमारा समाज (3 मार्च) ने कहा है कि प्रारम्भ में मजलिस के असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी से मिलकर एक मुस्लिम मोर्चा बनाने का प्रयास किया था। मगर यह सफल नहीं हो सका। क्योंकि कुछ क्षेत्रों ने यह आरोप लगाया था कि इस मोर्चे से मुस्लिम मतों का विभाजन होगा। जिससे भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिलेगा। इस विश्लेषण में यह भी दावा किया गया है कि मजलिस के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिले थे। वे बंगाल में अपनी पार्टी

मजलिस का दाखिला धूमधाम से करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फुरफुरा शरीफ का चुनाव किया था। क्योंकि इस दरगाह का पूरे बंगाल के मुसलमानों में भारी प्रभाव है। मगर जब दरगाह शरीफ के असली प्रमुख ताहा सिद्दीकी ने उन्हें खरी-खरी सुना दी और उनके साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया तो ओवैसी ने उनके भतीजे अब्बास सिद्दीकी से दोस्ती गांठने का प्रयास किया। मगर सिद्दीकी इस जाल में नहीं फंसे और उन्होंने स्वयं राजनीतिक अखाड़े में उतरने का फैसला करने के लिए एक फ्रंट बना डाला, जिसने बाद में वाम मोर्चा और कांग्रेस से गठबंधन करने में सफलता प्राप्त की। कहा जाता है कि इस दरगाह का हालांकि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में काफी प्रभाव है मगर क्या मुसलमान इस दरगाह का राजनीतिक इस्तेमाल करना कबूल करेंगे? विशेष रूप से जब इस दरगाह के असली प्रमुख ने राजनीति की जाल में फंसने से इनकार कर दिया है।

इस पृष्ठभूमि में अगर आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी का विवाद देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ाई बिना किसी कारण के हो रही है। अगर आनंद शर्मा की आलोचना देखें तो पता चलता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व उन पर छाया हुआ है। जब से एनडीए की सरकार केन्द्र में सत्ता में आई है कांग्रेस का एजेंडा कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी तय करती है और कांग्रेस इस पर अपनी नीति तैयार करती है। मिस्टर शर्मा कांग्रेस के इन सॉफ्ट हिंदुत्व कारीगरों के साथ रहे हैं। इसलिए मुस्लिम पार्टी के नाम से उनका हाजमा खराब हो गया है। सवाल यह है कि अगर यह गलती पीरजादा सिद्दीकी ने राजनीति में कूद कर की तो क्या मिस्टर शर्मा को उनसे इसलिए चिढ़ हो गई है कि वे मुसलमान हैं? शर्मा को मुसलमान नाम से ही चिढ़ है। इधर अधीर रंजन चौधरी अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनके गठबंधन ने कर डाली है। दरअसल कांग्रेस ने अंदाजा लगाने में ही गलती कर डाली। इसने फुरफरा शरीफ के नाम से इंडियन सेक्युलर फ्रंट को कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया मगर कांग्रेस को क्या पता था कि आनंद शर्मा जैसे हिंदुवादियों का दिल मुस्लिम नाम से ही बिलबिला उठेगा। कांग्रेस पार्टी किस डिटर्जेंट से धुली हुई यह दुनिया जानती है। 2014 में भाजपा के हाथों पटखनी खाई है। इसके सेक्युलरवाद का चोला तो कब का उतर चुका है। यही कारण है कि मुसलमानों का नाम आते ही आनंद शर्मा को परेशानी हो रही है। मगर अब जी-23 में शामिल कुछ लोगों के दिन पूरे हो चुके हैं। क्योंकि सेक्युलरिज्म की आड़ में सॉफ्ट हिंदुत्व का इनका चोला उतर चुका है।

अवधनामा (2 मार्च) ने यह दावा किया है कि ओवैसी काफी दिनों से फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरों को अपने जाल में उलझाने का प्रयास कर रहे थे। पीरजादा दो नाव में सवार थे। एक ओर तो दोनों पीरजादाओं ने हैदराबाद जाकर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें दरगाह में आने की दावत दी। ओवैसी आए और उन्होंने दरगाह में हाजिरी देने के बाद यह घोषणा की कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो भी फैसला करेंगे वह उन्हें कबूल होगा। इसके साथ ही वे पश्चिम बंगाल में अपने काम की शुरुआत करेंगे। बताया जाता है कि मार्क्सवादी पार्टी ने ओवैसी के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने से जब इनकार कर दिया तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को मजबूरन अपना फ्रंट बनाना पड़ा। सिद्दीकी ने मुजफ्फर भवन (मार्क्सवादी पार्टी के मुख्यालय) का रूख किया और मार्क्सवादी पार्टी नंदीग्राम के मुस्लिम बहुल

क्षेत्र की सभी सीटें सिद्दीकी द्वारा स्थापित नई राजनीतिक पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के हवाले करने के लिए तैयार हो गई। सिद्दीकी ने मार्क्सवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त चुनावी सभा में यह घोषणा की कि मार्क्सवादी पार्टी जहां भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी वे वहां अपना खून देकर उसके उम्मीदवारों को सफल बनाएंगे और बीजेपी और उसकी बी टीम ममता बनर्जी का सफाया कर देंगे। अजीब बात यह है कि पीरजादा साहब ने हालांकि तृणमूल कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताया है हालांकि हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल में असली टक्कर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में है। मोदी और ममता आमने-सामने हैं। मार्क्सवादी और कांग्रेस गठबंधन को अगर तीस चालीस सीटें भी मिल जाएं तो उन्हें शुक्र मनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि पीरजादा साहब झूठ की राजनीति में एंट्री ले चुके हैं। उनकी पार्टी की नींव ही झूठ पर टिकी हुई है। पहले उन्होंने ओवैसी का सहारा लेकर शोहरत बटोरी और फिर उनसे मुंह मोड़ लिया। ऐसा लगता है कि पीरजादा साहब की पार्टी का नया नाम भी मार्क्सवादी पार्टी ने ही तय किया होगा। क्योंकि उनकी पार्टी का नाम इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। इस पार्टी के अध्यक्ष उनके छोटे भाई नौशाद सिद्दीकी हैं। हमारे ख्याल में पीरजादा को सेक्युलरिज्म का शायद मतलब भी मालूम न हो। भाजपा और आरएसएस के लोग हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थक हैं। इसलिए वे सेक्युलरिज्म का शब्द तक सुनना गंवारा नहीं करते। हालांकि वे भले ही सेक्युलरिज्म, समाजवाद और लोकतंत्र का नाम लेते हैं। जो कि भारतीय संविधान की नींव हैं। इसी के सहारे वे चुनाव में भी हिस्सा लेते हैं। वर्तमान राजनीति झूठ-फरेब और धोखा का मिश्रण है। एक पार्टी जिसने पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष तक लगातार राज्य किया उन्होंने राजनीति और सरकार में मुसलमानों को कभी पहचाना तक नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बारे में बताया गया कि वहां मुसलमानों की हालत देश में सबसे बदतर है। मगर इसके बावजूद हमें यह भी मानना होगा कि अन्य सभी पार्टियों की तुलना में कम्युनिस्ट भाजपा के सबसे ज्यादा खिलाफ हैं और भाजपा भी मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा कम्युनिस्टों के खिलाफ है। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'बंच ऑफ थाउट' में लिखा है, "मुसलमान, कम्युनिस्ट और ईसाई हिंदुस्तान और हिंदुओं के तीन बड़े दुश्मन हैं।" संघ परिवार अपने गुरु की इस राय पर भी दृढ़ है। जहां तक मार्क्सवादी पार्टी के पूर्व महासचिव और चिंतक प्रमोद दासगुप्ता का संबंध है वे कहा करते थे कि पश्चिम बंगाल में जब तक पीर पैगम्बर का प्रभाव खत्म नहीं होगा कम्युनिज्म की तरक्की संभव नहीं।

कौमी तंजीम (3 मार्च) में प्रकाशित एक लेख में लेखक गुलाम गौस ने कुछ विधान सभाओं में होने वाले चुनावों का विश्लेषण करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वे एकजुट होकर मुस्लिम उम्मीदवारों या उनके समर्थकों के पक्ष में मतदान करें जो कि विधान सभाओं में मुसलमानों की मांगों को सही ढंग से उठा सकते हों। मुसलमानों की त्रासदी यह है कि उन्होंने आजतक किसी भी चुनाव में कभी कोई रणनीति तैयार नहीं की। इसलिए उनके वोट विभाजित होते रहे और लोकसभा और विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व तेजी से घटता गया। उन्होंने कभी मतदान में रुचि नहीं ली और कभी मुसलमानों ने 40 प्रतिशत से अधिक मतदान नहीं किया। जरूरत इस बात की है कि इस प्रवृत्ति को बदला जाए और मुसलमान एकजुट होकर मतदान करें।

इमरान सरकार को विश्वास प्रस्ताव पर मिली जीत

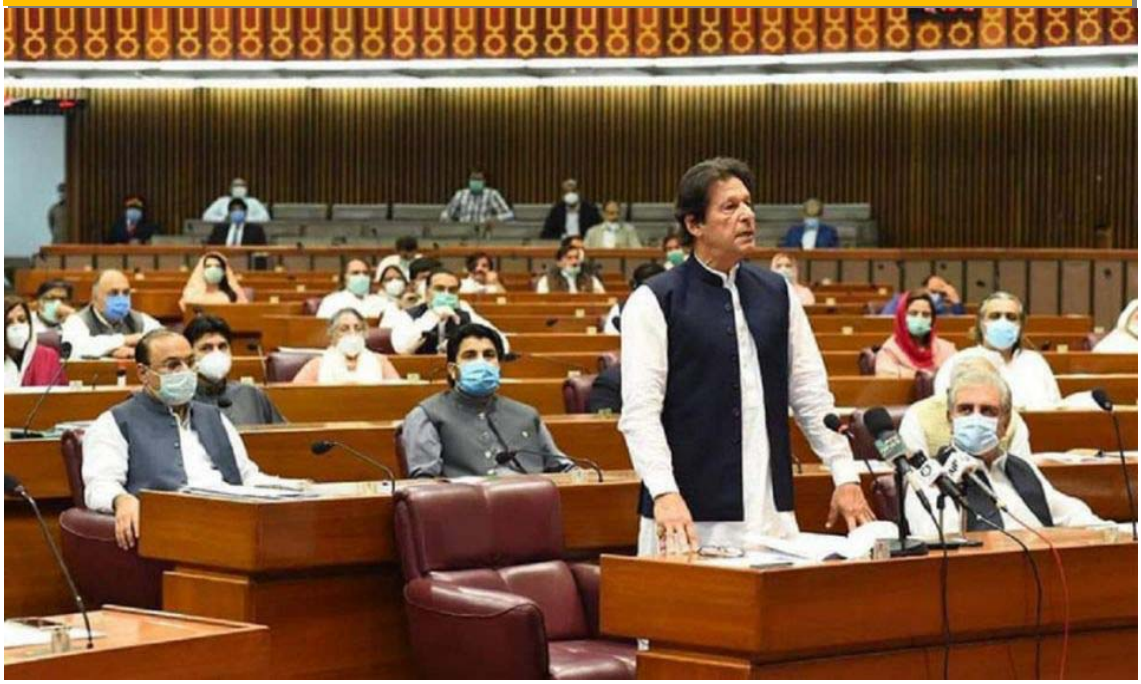

अवधनामा (7 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली के अपर हाउस में इस्लामाबाद की सीट पर हार के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय असेंबली के विशेष अधिवेशन में विश्वासमत प्राप्त कर लिया। उनके पक्ष में 178 सांसदों ने मत दिए। जबकि इस विधेयक को जीतने के लिए इमरान खान को 172 मतों की जरूरत थी। प्रधानमंत्री के विश्वास के एक सूत्री एजेंडे पर सदन में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन इस्लामिक जम्हूरिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर विश्वास व्यक्त करती है। विदेश मंत्री की ओर से प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने मतदान की पद्धति से सदन के सदस्यों को अवगत कराया। इसके बाद सदन के गेट बंद कर दिए गए और सदस्यों को विश्वासमत प्राप्त करने के लिए लॉबी में जाने का निर्देश दिया गया। मतदान के बाद गिनती की गई और राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष ने घोषणा की कि इससे पूर्व अगस्त 2018 में इमरान खान ने विश्वास का जो प्रस्ताव पेश किया था उसमें उन्हें 172 मत प्राप्त हुए थे, जबकि आज उन्हें 178 मत प्राप्त हुए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य और मुतहिदा कौमी मुवमेंट (एमक्यूएम) पाकिस्तान के संयोजक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बधाई दी। इमरान खान सरकार के मंत्री शेख राशीद ने दावा किया कि पाकिस्तान को संकट से निकालने के लिए इमरान खान ने

जितनी मेहनत की है उतनी पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी नेता ने नहीं की।

पाकिस्तान राष्ट्रीय असेंबली में तहरीक-ए-इंसाफ के 158 सदस्य, एमक्यूएम के 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क्यू) के 5, ग्रांड डेमोक्रेटिक एलायंस के 3, अवामी मुस्लिम लीग के 1, बीएपी के 5, जेडबल्यूपी के 1 और दो निर्दलीय सदस्य भी सत्तारूढ़ दल के हिस्सा हैं। जबकि विपक्ष के सांसदों की संख्या 160 है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के 83, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 55, एमएमए के 15, एएनपी का 1, बीएनपी (एम) का 4 और दो निर्दलीय सांसद भी विपक्ष का हिस्सा हैं। ज्ञातव्य है कि इमरान खान को इसलिए पुनः राष्ट्रीय असेंबली से विश्वास का मत प्राप्त करना पड़ा है क्योंकि अपर हाउस के चुनाव में इस्लामाबाद की सीट के चुनाव में सत्तारूढ़ दल को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अपर हाउस में इस्लामाबाद की जनरल सीट पर सत्तारूढ़ गठबंधन ने हफीज शेख को खड़ा किया था जिनको विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार युसूफ रजा गिलानी से पराजित होना पड़ा था। हालांकि सत्तारूढ़ दल का निम्न सदन में बहुमत था। सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को 164 जबकि विपक्ष के उम्मीदवार युसूफ रजा गिलानी को 169 वोट प्राप्त हुए थे। इसका साफ अर्थ है कि सत्तारूढ़ दल के 5 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके विपक्ष के उम्मीदवार को वोट दिए थे। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि संविधान में 18वें संशोधन के बाद यह पहला अवसर है कि किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का कदम उठाया है। इससे पूर्व पाकिस्तानी संविधान के अनुसार हर प्रधानमंत्री को अपने निर्वाचित होने के 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय असेंबली से विश्वास मत प्राप्त करना जरूरी था। किंतु 2010 के बाद अब यह शर्त हटा ली गई है। संविधान के अनुच्छेद 91 की धारा 7 के तहत राष्ट्रपति उस समय तक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उसे यह संतोष न हो कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय असेंबली में बहुमत प्राप्त नहीं है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (5 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के सत्तारूढ़ दल तहरीक-ए-इंसाफ ने अपर हाउस में चुनाव हारने के बाद यह निर्णय किया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान संसद से विश्वासमत प्राप्त करें। इस बात की घोषणा सत्तारूढ़ दल के नेता और केन्द्रीय मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने की थी। शाह महमूद ने यह दावा किया था कि मतदान में गड़बड़ी होने के कारण सदस्य अपने वोट का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। राष्ट्रीय असेंबली में कुछ सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से नया मतपत्र मांगा था। लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। राष्ट्रीय असेंबली में 340 सीटों पर मतदान हुआ था, जिनमें से सात मत रद्द किए गए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने गुप्त मतदान को बरकरार रखने का फैसला किया था। युसूफ रजा गिलानी की जीत पर पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह संकेत दिया था कि विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों के वोट खरीदे थे। गिलानी की जीत पर पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में कहा था कि लोकतंत्र बेहतरीन बदला है। जिये भुटो! मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा था कि जाली मैंडेट को जनता के प्रतिनिधियों ने वापस छीन लिया है। अब

इमरान खान के पास प्रधानमंत्री निवास में काबिज रहने का कोई आधार नहीं है।

अगर आंकडों पर नजर डालें तो सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगियों को 185 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। जबकि विपक्ष के पास 160 सदस्य थे। डस्का क्षेत्र में मतदान में हुई धांधलियों के आरोपों के बाद वहां पर पुनः चुनाव करवाए जा रहे हैं। पंजाब से पहले ही 11 सीनेटर निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जबकि बलुचिस्तान में सभी दलों ने अपने-अपने सदस्यों के अनुपात में सीटें जीती हैं। 12 सीटों में से सत्तारूढ़ मोर्चा को 8 और विपक्ष को 4 सीटें मिली हैं। बलुचिस्तान से सीनेट की 12 सीटों के लिए सूबाई विधान सभा के 65 सदस्यों ने अपने वोट डाले थे। सत्तारूढ़ दल को सामान्य सात सीटों में से 5, जबकि विपक्ष को 2 सीटें ही मिली। टेक्नोक्रेट की दो सीटों पर जेयूआई के कामरान मुर्तजा और बलुचिस्तान अवामी पार्टी के सईद अहमद हाशमी सफल हुए। महिलाओं की सीटों पर पाकिस्तान नेशनल पार्टी की समीना एहसान और बलुचिस्तान अवामी पार्टी की समीना मुमताज सफल हुईं। जबकि अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित सीट पर दिनेश कुमार जीते। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा क्षेत्र में सीनेट की बारह सीटों में से दस सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीत ली। सामान्य सीट पर जेयूआई (एफ) के अब्दुल रहमान और अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हिदायतुल्लाह जीते हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित सीटों पर तहरीक-ए-इंसाफ की सानिया निश्तर और फलक नाज जीती हैं। जबकि अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित सीट पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के गुरदीप सिंह ने सफलता प्राप्त की है।

इससे पूर्व **हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (3 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि सीनेट के चुनाव गुप्त मतदान द्वारा ही होने चाहिए।

स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध

इंकलाब (9 मार्च) के अनुसार स्विट्जरलैंड में एक जनमत संग्रह में 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने मुस्लिम महिलाओं के नकाब पहनने पर पाबंदी लगाने का समर्थन किया है। जनमत संग्रह के आकड़ों के अनुसार 53 प्रतिशत से अधिक लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे ढंकने पर पाबंदी लगाने का समर्थन किया है, जिसके कारण अब सार्वजनिक परिवहन, दुकानों, रेस्टोरेंट और सड़कों पर कोई महिला अपना चेहरा नहीं ढंकेगी मगर धार्मिक स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व फ्रांस,

बेल्जियम और नीदरलैंड आदि अनेक यूरोपीय देशों में बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। स्वीट्जरलैंड में पिछले काफी वर्षों से

इस बात पर चर्चा हो रही थी कि इस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं। स्विस कानून के अनुसार यदि किसी ज्ञापन पर एक लाख मतदाताओं के हस्ताक्षर हो जायें तो 86 लाख जनसंख्या वाले इस देश में उसे जनमत संग्रह के लिए पेश किया जाता है। यह पाबंदी लगाए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों जिनमें दुकानें भी शामिल हैं, अपने चेहरे को पूर्णत: छिपा नहीं सकेगा। हालांकि सरकारी कानून में बुर्का या नकाब का विशेष रूप से कोई जिक्र नहीं किया गया है। परंतु यह बात साफ है कि प्रतिबंध इस्लामिक ढंग से नकाब या बुर्के के इस्तेमाल पर ही लगाया गया है। इसमें महिलाओं के आंखों को छोड़कर पूरा चेहरा ढका रहता है। फिलहाल यह प्रतिबंध स्विटजरलैंड के दो राज्यों में पहले से ही लागू है।

दक्षिणपंथी पार्टी स्विस पीपुल्स पार्टी बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का जबर्दस्त समर्थन कर रही है। इसने अपने अभियान में जो पोस्टर इस्तेमाल किए हैं इनमें नकाब पहने हुए एक महिला को दिखाया गया है और इसके नीचे लिखा गया है, 'इस्लामिक आतंकवाद बंद करो'। इसी पोस्टर में एक महिला को गुस्से में खड़े हुए दिखाया गया है। इस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि सौभाग्य से स्विटजरलैंड में बुर्का पहनने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं है। जबकि सरकार के कुछ लोग बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर यह प्रतिबंध लगाया गया तो इसके कारण स्विटजरलैंड आने वाले पर्यटकों की संख्या प्रभावित होगी। क्योंकि स्विटजरलैंड की यात्रा करने के लिए अरब शेखों के परिवार भारी संख्या में आते हैं और यहां के स्विस बैंकों में उनके बड़े-बड़े खाते हैं। मुस्लिम महिलाओं के संगठन की प्रवक्ता अनीस शेख का कहना है कि यह कानून बेकार और नस्लपरस्ती पर आधारित है तथा महिला विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले को जरूरत से ज्यादा उछाला जा रहा है। हालांकि स्विटजरलैंड में बुर्का पहनने वाली महिलाओं की संख्या सिर्फ 30 है। एमनेस्टी इंटरनेश्नल (स्विटजरलैंड) की महिला प्रकोष्ठ ने इस जनमत संग्रह का विरोध करते हुए कहा है कि यह प्रतिबंध भेदभाव का परिचायक है और महिलाओं के अधिकारों का हनन है। यह पाबंदी एक खतरनाक नीति होगी जो देश के सेक्युलरवाद और व्यक्तिगत आजादी की नीति के खिलाफ है।

अफगानिस्तान में तालिबान के बड़े हमले का खतरा

इंकलाब (9 मार्च) के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान को खबरदार किया है कि अगर अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर तुरंत विचार नहीं किया तो तालिबान वहां पर बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका ईरान से अपने सैनिक मई महीने तक वापस बुलाने पर गौर कर रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका की अफगानिस्तान में नई नीति क्या होगी? क्योंकि अमेरिकी प्रशासन अनेक विकल्पों पर विचार कर रहा है।

अवधनामा (25 फरवरी) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सूत्रों के अनुसार हालांकि 2020 में अफगानिस्तान में घायल और मरने वाले आम नागरिकों की संख्या में 25 प्रतिशत की कमी आई है। मगर जब से शांति वार्ता शुरू हुई है नागरिकों की हत्याओं में भारी वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के सहयोगी मिशन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अफगानिस्तान में बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए सभी पक्षों से युद्ध विराम की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से युद्धबंदी की मांग ऐसे समय में सामने आई है जब अफगानिस्तान में चल रही शांति वार्ता में कई सप्ताह के बाद पुनः कुछ गति हुई है। अफगानिस्तान में शांति वार्ता की शुरुआत गत वर्ष सितंबर महीने में हुई थी मगर अभी तक इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अफगानिस्तान में हिंसा की विभिन्न घटनाओं में 3035 अफगान नागरिक मारे गए हैं जबकि 5785 जख्मी हुए हैं। हालांकि यह संख्या 2019 की तुलना में 15 प्रतिशत कम है मगर 2020 की अंतिम तिमाही में हिंसा की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता प्रकट की गई है कि वहां पर गृह युद्ध में मारे जाने वालों में 43 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी तालिबान पर युद्धबंदी के लिए निरंतर जोर देती आ रही है। लेकिन तालिबान युद्धबंदी के लिए अभी तैयार नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस वर्ष में जो अफगान नागरिक हताहत हुए हैं उनमें से 20 प्रतिशत के लिए तालिबान जिम्मेवार हैं।

सहाफत (1 मार्च) के अनुसार अफगान तालिबान ने अपने कैडर को यह आदेश दिया है कि वे किसी विदेशी को शरण न दें। क्योंकि अमेरिका द्वारा युद्ध विराम का निरंतर उल्लंघन किया जा रहा है। तालिबान के तथाकथित मिलिट्री कमिश्नर ने सभी कमांडरों को यह निर्देश दिया है कि किसी भी विदेशी को अपने संगठन में न तो कोई पद दिया जाए और न ही उन्हें शरण दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे संगठन से निकाल बाहर किया जाएगा।

अवधनामा (4 मार्च) के अनुसार अमेरिकी प्रशासन की निगरानी संस्था 'स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन' ने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि अमेरिकी करदाताओं के खून पसीने की कमाई का अरबों डॉलर अफगानिस्तान में भवनों के निर्माण और परिवहन पर बर्बाद किए गए हैं। हालांकि ये सभी भवन अभी तक खाली ही पड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 से लेकर अब तक अफगानिस्तान में भवनों और वाहनों पर सात अरब 85 करोड़ डॉलर खर्च किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस धनराशि में से सिर्फ एक अरब बीस करोड़ डॉलर ऐसे हैं जो ऐसे भवनों और वाहनों पर खर्च किए गए जो वास्तव में इस्तेमाल किए गए। ये सरकारी धन की खुली बर्बादी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान के उत्तरी-पूर्वी प्रदेश कपिसा में अफगान सेनाओं के एक अभियान के सिलसिले में अलकायदा से संबंधित 16 आतंकवादी मारे गए जबकि 30 तालिबान आतंकवादियों को गोली से उड़ा दिया गया। इनमें अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादी गुट में शामिल पाकिस्तानी नागरिक भी

थे। इनके कब्जे से भारी मात्रा में विदेशी अस्त्र-शस्त्र बरामद हुए हैं।

सहाफत (4 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान में रेडियो और टेलीविजन के स्टूडियो में काम करने वाली तीन महिलाओं को गोलियों से भून दिया गया। ये महिलाएं जलालाबाद स्थित रेडियो सह टीवी केन्द्र में काम करती थीं। एनिकास टीवी की निदेशक जलमय लतीफी का कहना है कि इन महिलाओं को दफ्तर से निकलने के बाद दो विभिन्न हमलों में मारा गया। वे दफ्तर से अपने घर पैदल जा रही थीं तभी उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये तीनों महिलाएं डबिंग विभाग से संबंधित थीं। इनके नाम मुरसल वहीदी, शहनाज और सदिया बताए जाते हैं। ये महिला कर्मचारी भारत और तुर्की के बनाए हुए लोकप्रिय टीवी कार्यक्रमों को दरी और पश्तो भाषा में डब किया करती थीं। अभी तक इन पर हमले की जिम्मेवारी किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं कबूली है। मगर सरकारी सूत्रों का बयान है कि इस हमले के पीछे अतिवादी इस्लामिक संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों का हाथ है। ज्ञातव्य है कि गत वर्ष भी इसी टीवी स्टेशन में कार्य करने वाली तीन टीवी कलाकारों को इस्लामिक स्टेट के निर्देश पर गोलियों से भून दिया गया था। गत दो वर्ष में अफगानिस्तान में कम-से-कम 65 मीडियाकर्मी इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा गोली से उड़ाए जा चुके हैं। ■

अमेरिका में ग्रीन कार्ड पर प्रतिबंध समाप्त

सहाफत (26 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड पर उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है जिसे डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने पिछले वर्ष लागू किया था। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रतिबंध से उन व्यक्तियों का भी

अमेरिका में प्रवेश रूक गया था जिन्होंने कानून के अनुसार अमेरिका में प्रवास किया था। नए राष्ट्रपति ने सत्ता सम्भालते ही प्रवास से संबंधित निर्णय पर विचार करना शुरू कर दिया और अब वे कई नीतियों में परिवर्तन कर चुके हैं। नए राष्ट्रपति ने कहा है कि ट्रम्प ने जो प्रतिबंध लगाया था उससे अमेरिकी हितों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। बल्कि इससे उल्टा नुकसान ही हुआ था। जिन अमेरिकी नागरिकों और अन्य लोगों को कानूनी तौर पर इससे अमेरिका में स्थाई आवास प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था उनको भी क्षति हो रही थी और वे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। इसके अतिरिक्त अमेरिकी उद्योगों को भी इससे क्षति पहुंच रही थी जो अपने कार्यों में विस्तार के लिए विश्व भर में उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने ये प्रतिबंध गत वर्ष अप्रैल महीने में यह कहते हुए लगाया था कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए यह जरूरी है कि अमेरिकीयों को रोजगार का संरक्षण प्रदान किया

जाए। इस प्रतिबंध के तहत अमेरिका में बाहर के रहने वाले लोगों को ग्रीन कार्ड जारी न करने का फैसला किया गया था जो कानून के अनुसार अमेरिका में रहना चाहते थे। इस प्रतिबंध से 1 लाख 20 हजार ऐसे परिवार प्रभावित हुए थे जो कि प्राथमिक आधार पर वीजा प्राप्त करने के हकदार थे। इसके अतिरिक्त वे लोग भी प्रभावित हुए जिन्हें नौकरी के लिए वीजा उपलब्ध करवाया जाता था। लेकिन राष्ट्रीय हित के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया था। इसके तहत वीजा लॉटरी सिस्टम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे बहुत से लोगों को अमेरिकी वीजा और आवास उपलब्ध कराया जाता है। गत वर्ष दिसंबर में ट्रम्प ने इस प्रतिबंध को मार्च तक विस्तार करने की भी घोषणा की थी।

सोमालिया में इस्लामिक आतंकवादियों का हमला

सहाफत (7 मार्च) के अनुसार सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक रेस्टोरेंट के बाहर शुक्रवार की शाम को होने वाले एक कार बम धमाके में अनेक लोग मारे गए। ताजा जानकारी के अनुसार कम-से-कम 21 से अधिक व्यक्ति इस हमले में मारे गए हैं और तीस से ज्यादा घायल हुए हैं। धमाका उस वक्त हुआ जब लोग रात का खाना खा रहे थे और रेस्टोरेंट पूरी तरह से भरा हुआ था। धमाके के कारण अनेक इमारतें ध्वस्त हो गईं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस धमाके के पीछे इस्लामिक आतंकवादी गुट अल शबाब का हाथ है। अल शबाब का संबंध अलकायदा से बताया जाता है। यह आतंकवादी इस्लामिक संगठन सोमालिया में काफी देर से सक्रिय है और उसके हाथ सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से रंग हुए हैं। इस उग्रवादी संगठन ने काफी समय से इस देश में जिहाद छेड़ रखा है। इसका लक्ष्य इस देश में इस्लामिक हुकूमत स्थापित करना है। अलकायदा के आतंकवादियों और सरकारी सेनाओं के बीच इस देश में अनेक जगहों पर सशस्त्र युद्ध हो रहा है जिसके कारण इस देश में लगभग गृह युद्ध जैसी स्थिति है। इस समय सोमालिया के एक बड़े दक्षिणी और केन्द्रीय भाग पर अल शबाब का नियंत्रण है। कुछ दिनों पूर्व अल शबाब के आतंकवादियों ने एक कैद खाने पर हमला करके कम-से-कम एक दर्जन सैनिकों को मार दिया था और इस जेल में बंद अनेक खूंखार आतंकवादियों को जेल से छुड़ा लिया। अल शबाब के प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने इस जेल में बंद अपने 400 साथियों को कैद से मुक्त किया है। सोमालिया में विपक्षी मोर्चा ने आम चुनाव न करवाए जाने के खिलाफ राजधानी में उग्र प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। मगर इस धमाके के बाद विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन को स्थगित करने की घोषणा की है।

पोप के इराक दौरे से नए संकेत

मुस्लिम और ईसाई राजनीति नया मोड़ ले रही है। शताब्दियों तक विश्व भर में मुसलमानों और ईसाईयों के बीच संघर्ष होता रहा। मगर बदलते हुए हालात को देखते हुए अब ये एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। हाल ही में पोप फ्रांसिस ने इराक का तीन दिवसीय दौरा किया।

रोजनामा सहारा (8 मार्च) के अनुसार पोप ने अपने दौरे के सिलसिले में इस्लामिक स्टेट के पुराने गढ़ मोसूल का दौरा किया। उन्होंने उस प्राचीन गिरजाघर के बाहर विशेष दुआ का आयोजन किया, जिसे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने तबाह व बर्बाद कर दिया था। इस अवसर पर पोप ने युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने इराक और मध्य-पूर्व के ईसाईयों से अनुरोध किया कि वे अपने घरों को छोड़कर बाहर न जाएं। उन्होंने इराक के मुसलमान और ईसाई धार्मिक नेताओं से इस बात पर जोर दिया कि वे अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर शांति और एकता के लिए कार्य करें। इसके बाद वे उर नामक ऐतिहासिक स्थान पर भी गए जहां परंपरागत रूप में यह माना जाता है कि वहां पर हजरत इब्राहिम (अब्राहम) का जन्म स्थान है जो कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए पैगम्बर का दर्जा रखते हैं। मगर पोप की दुआ में कोई यहूदी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इराक में 84 वर्षीय पोप की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया गया था। क्योंकि गुप्तचर सूत्रों ने इस बात का संकेत दिया था कि इस दौरे के दौरान पोप पर घातक हमला हो सकता है।

सहाफत (7 मार्च) के अनुसार नजफ़ में पोप ने ईसाईयों के सबसे बड़े धर्मगुरु अयातुल्लाह सैयद अली सिस्तानी से बंद कमरे में मुलाकात की। कैथोलिक चर्च के दो हजार वर्ष के इतिहास में पहली बार पोप किसी व्यक्ति के घर जाकर उससे मिले हैं। पोप की सुरक्षा के लिए दस हजार इराकी सैनिक तैनात किए गए थे। जबकि नागरिकों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। सिस्तानी कई दशक से नजफ़ में हजरत

अली के रोजा के समीप एक साधारण मकान में रह रहे हैं। पोप वहां पर अपनी बुलेट प्रूफ सुरक्षा के साथ पहुंचे थे। ईसाई 2003 से इराक से पलायन कर रहे है। वहां पर सद्दाम हुसैन के अपदस्थ किए जाने तक चौदह लाख ईसाई रहते थे, जिनकी संख्या अब घटकर ढ़ाई लाख ही रह गई है।

इत्तेमाद (7 मार्च) के अनुसार पोप और इराक के शिया नेता ने एक संदेश में मुसलमानों से कहा है कि वे ईरान के लाचार और परेशान ईसाईयों को गले लगाएं। अयातुल्लाह सिस्तानी ने कहा है कि इराकी ईसाईयों के संरक्षण में धार्मिक अथॉरिटी का विशेष योगदान है। ईसाईयों को शांति के साथ रहना चाहिए और उन्हें वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो इराक के अन्य अधिकारियों को प्राप्त हैं। पोप के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पोप ने सिस्तानी के मकान में दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार लिए थे।

इत्तेमाद (7 मार्च) में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार पोप ने युद्ध से तबाह मोसूल नगर का दौरा किया और इस युद्ध में मरने वालों के लिए एक स्मारक की आधारशिला रखी। स्थानीय चर्च को 2017 में इस्लामिक स्टेट और इराकी सेना के बीच हुए युद्ध में भारी क्षति पहुंची थी।

इत्तेमाद ने 6 मार्च के संपादकीय में पोप के इराक दौरे का स्वागत करते हुए कहा है कि इसके कारण आशा की कई किरणें पैदा हुई हैं। इससे इस्लामोफोबिया को विश्व से समाप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ पश्चिमी देशों में जो नफरत पैदा हुई है उसकी भी रोकथाम होगी। पोप का यह दौरा मध्य-पूर्व और विश्व परिवेश में विशेष महत्व का है। इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन ने कहा है कि इराकी जनता इसका बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही है, क्योंकि इससे मस्जिदों और गिरजाघरों की मीनारों में एकता पैदा हो रही है।

इंकलाब (7 मार्च) के संपादक शकील शम्सी ने अपने संपादकीय में पोप और ईसाईयत की जमकर आलोचना करते हुए कहा है कि पोप फ्रांसिस के दौरे को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे उससे इराक में हर तरफ शांति ही शांति हो जाएगी। हालांकि उनके दौरे से कोई लाभ हो या न हो लेकिन इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ईसाईयत की आलोचना करते हुए शम्सी ने कहा है कि क्या पोप के धर्म से संबंधित सभी लोग उन्हीं की तरह सफेद लिबास पहनकर और हाथ में अमन का सफेद झंडा उठाकर हवा में सफेद कबूतर उड़ाते रहते हैं? क्या उनके धर्म के दो टुकड़े नहीं हो गए हैं? एक टुकड़ा शांति की बात करता है तो क्या दूसरे टुकड़े के पांव के नीचे खून का दरिया नहीं बहता है? एक टुकड़ा अमन का परचम हाथों में लिए फिरता है तो दूसरा टुकड़ा परमाणु हथियार दिखाकर दुनिया को बर्बाद करने की धमकी नहीं देता है?

यह भी एक सच है कि इस वक्त दुनिया के तमाम धर्मों में अतिवाद और आतंकवाद किसी न किसी रूप में घुस आया है। पोप फ्रांसिस को तो यह मालूम ही होगा कि इराक में इस्लामिक स्टेट को किसने पाल पोसकर जवान किया था? किन देशों ने इस्लामिक स्टेट को नई खिलाफत स्थापित करने के लिए अस्त्र-शस्त्र और धन उपलब्ध कराया था? पोप को यह भी बात पता होगी कि इस्लामिक स्टेट को इसलिए इराक में उतारा गया कि वह मुसलमानों में साम्प्रदायिक मतभेदों को फैलाना शुरू करके उनको विभाजित कर दे। मगर इस्लामिक स्टेट ने मुसलमानों के साथ-साथ ईसाईयों और यजीदियों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके जिहादियों ने मजार ध्वस्त किए तो उसके साथ इराक के

ऐतिहासिक गिरजाघरों को भी तबाह कर दिया। उन्होंने एक ओर मुस्लिम लड़कियों को जिहाद अल निकाह के नाम पर अपनी वासना का शिकार बनाया तो दूसरी ओर इराक की सड़कों पर ईसाई लड़कियों को भी नीलाम किया गया। जब मोसूल और अनबर में लाशों के ढेर लग गए तब इस्लामिक स्टेट को बनाने वालों को ख्याल आया कि सांप तो छोड़े जा सकते हैं मगर उन्हें यह नहीं बताया जा सकता कि वे किसको काटें और किसको नहीं। पोप को यह भी अच्छी तरह मालूम है कि इराक पर अमेरिकी हमलों से पहले वहां पर 15 लाख ईसाई आबाद थे मगर अब घटकर सिर्फ पांच लाख रह गए हैं। क्योंकि ईसाईयों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना जरूरी समझा। इराकी ईसाई अब अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। गिरजाघरों के नवनिर्माण का कार्य शुरू हो गया है। दरअसल पोप को उन लोगों से बात करनी चाहिए जो मुस्लिम देशों को अपनी राजनीतिक हवस का निशाना बनाकर तबाह करते हैं।

रोजनामा सहारा (8 मार्च) के अनुसार मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने पोप के दौरे का स्वागत किया है और यह आशा व्यक्त की है कि इससे विश्व में तनाव कम होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि पोप की इराक यात्रा आशा का नया संदेश है। इससे विश्व की राजनीति में नया मोड़ आएगा।

टिप्पणी : पोप फ्रांसिस का किसी भी मुस्लिम देश का यह पहला दौरा नहीं है। ईसाईयों के 2000 वर्ष के इतिहास में इससे पूर्व 2019 में पोप ने कई अन्य अरब देशों का भी दौरा किया था। 2019 में पोप फ्रांसिस और इस्लामिक जगत के सबसे बड़े सुन्नी शिक्षा संस्थान जामिया अल अजहर के मुफ्ती आजम शेख अहमद अल तैयब ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि कि मुसलमानों और ईसाईयों के बीच सैकड़ों वर्षों से जो युद्ध चला उसके कारण इन दोनों धर्मों के अनुयायियों के बीच जो कटुता पैदा हुई थी उसे आज तक किसी ने समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था। अब ईसाई जगत में एक नया पुनर्जागरण का युग आया है जिसके कारण पश्चिमी देश अतिवाद और संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकले हैं। लेख में कहा गया था कि इस दौरे से दोनों धर्मों के बीच सद्भावना और सौहार्द्र का नया दौर शुरू होगा।

खशोग्गी हत्या मामले में सऊदी युवराज की भूमिका पर अमेरिका नरम

हमारा समाज (26 फरवरी) के अनुसार सऊदी पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या की जांच करने वाली गुप्त जांच एजेंसी ने सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान को हत्या का जिम्मेवार ठहराया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि

इस पत्रकार की हत्या की मंजूरी सऊदी युवराज ने दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह कहा है कि उन्होंने यह रिपोर्ट पढ़ी है और वे इस संदर्भ में सऊदी अरब के शाह

से बात करेंगे। ज्ञातव्य है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपने देश की मध्य-पूर्व नीति का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और वे इस संबंध में सऊदी अरब में मानवाधिकारों के हनन को विशेष महत्व दे रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि जमाल खशोग्गी सऊदी युवराज के बहुत बड़े आलोचक थे। उन्हें आखिरी बार 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास में दाखिल होते हुए देखा गया था। इसके बाद उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस मामले को लेकर विश्व भर में भारी हंगामा हुआ था। पहले तो सऊदी युवराज खशोग्गी की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार करते रहे मगर बाद में सऊदी सरकार ने यह स्वीकार किया कि देश विरोधी तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी उस संदर्भ में गलती से खशोग्गी की हत्या हो गई थी। बाद में सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने भी जुलाई 2019 में एक बयान में कहा था कि वे खशोग्गी की हत्या की नैतिक जिम्मेवारी कबूल करते हैं। इस पत्रकार की हत्या में लिप्त सऊदी अरब के पांच अधिकारियों को पहले मौत की सजा दी गई थी मगर बाद में इसे उम्रकैद में बदल दिया गया।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (3 मार्च) के अनुसार सऊदी सरकार ने अमेरिकी जांच एजेंसी के निष्कर्ष को ठुकरा दिया है और उन्होंने दावा किया है कि यह रिपोर्ट पूर्वाग्रह से प्रभावित है। जबकि पाकिस्तान ने इस मामले में सऊदी अरब का समर्थन किया है। पाकिस्तान के कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान को इस मामले में निष्पक्ष रहना चाहिए था। मगर पाकिस्तान के कुछ अन्य पत्रकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने इस मामले में सऊदी युवराज का इसलिए समर्थन किया है ताकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंधों में जो तनाव आया है उसे दूर किया जा सके।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (8 मार्च) के अनुसार 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान बाइडेन ने यह घोषणा की थी कि अगर वे सत्ता में आए तो वे खशोग्गी के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के हितों को देखते हुए बाइडेन की कथनी और करनी में भारी अंतर हुआ है और अब उनका रूख काफी नरम हो चुका है। अमेरिका के कई नेता यह चाहते हैं कि इस मामले में राष्ट्रपति सऊदी अरब के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं। अमेरिका के पूर्व राजदूत विलियम लॉरेंस का कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने यह संकेत दिया है कि वे मोहम्मद बिन सलमान से खुश नहीं हैं और इस संदर्भ में कोई ठोस कदम उठाना चाहता है। अमेरिका का यह प्रयास होगा कि एक अवांछित व्यक्ति के रूप में मोहम्मद बिन सलमान को नजरअंदाज किया जाए। क्योंकि सऊदी अरब के साथ संबंधों को बिगाड़ना अमेरिकी हितों के खिलाफ है। जब भी अमेरिका ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करता है तो सऊदी अरब बीच में कोई न कोई अड़ंगा डाल देता है। हाल ही में पत्रकार खशोग्गी की हत्या के बारे में जिस जांच रिपोर्ट को व्हाइट हाउस के सूत्रों ने समाचारपत्रों को लीक किया है उससे अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। सऊदी अरब का यह प्रयास है कि अमेरिका के साथ संबंधों में कोई तनाव पैदा न हो। इसलिए वह यमन, ईरान और अन्य समस्याओं के हवाले से अमेरिका के साथ संबंधों में कोई तनाव पैदा नहीं करना चाहता। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने

सऊदी बादशाह से जो बातचीत की है उसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब की रक्षा अमेरिका पूर्वत: करता रहेगा। अजीब बात यह है कि इस बातचीत में दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन में अरबों के उत्पीड़न को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

सऊदी अरब में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान

सहाफत (4 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब में राजपरिवार के सुरक्षा दस्तों से संबंधित तीन उच्चाधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिकरण के सूत्रों के अनुसार इन अधिकारियों पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने और अपने रिश्तेदारों के नामों पर बनाई गई कंपनियों को 106 मिलियन डॉलर मूल्य के टेंडर जारी किए थे। गिरफ्तार किए गए शाही गार्ड्स में मेजर जनरल, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे पदाधिकारी शामिल हैं। ये तीनों अधिकारी राजमहल के लिए खरीद और ठेकों से संबंधित विभाग से संबंधित थे। इनसे पूछताछ के आधार पर 21 अन्य प्रमुख व्यापारियों और अरब मूल के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिकरण के एक प्रवक्ता ने यह दावा किया कि गिरफ्तार किए गए अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी और अपने रिश्तेदारों की कंपनियों को जो टेंडर जारी किए थे वे नियमों के खिलाफ थे और इन कंपनियों को सरकारी खजाने से अवैध रूप से करोड़ों रियाल का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त इन अधिकारियों ने विदेशों में अपने नाम पर अरबों रुपये की संपत्ति खरीदी। अभी तक इनके खिलाफ 106 मिलियन डॉलर का घोटाला सामने आया है। इसमें और भी भारी धनराशि की वृद्धि होने की संभावना है। इस संदर्भ में 21 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है।

एक अन्य मुकदमें में शाही महल से संबंधित लैंड ग्रांट विभाग के एक अन्य उच्चाधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिस पर यह आरोप है कि उसने भारी रिश्वत लेकर बोगस शाही फरमानों द्वारा नागरिकों को काफी भूमि अलॉट की और इसके बदले में दलालों के सहयोग से उनसे करोड़ों रियाल बटोरे। इन दोनों दलालों को भी इस संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि सऊदी अरब के जिन अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार द्वारा भारी धनराशि बटोरी है उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देश भर में उनके खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है।

बाइडेन द्वारा ईरान पर लगे प्रतिबंधों में विस्तार

रोजनामा सहारा (7 मार्च) के अनुसार बाइडेन ने 1995 में ईरान पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में एक वर्ष के विस्तार की घोषणा की है। यह एक प्रकार का कानून है, जिसके तहत अमेरिका ईरान पर परमाणु अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण और आतंकवादी संगठनों के समर्थन करने पर तरह-तरह

के प्रतिबंध लगाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने सूचना दी है कि ईरान के संदर्भ में राष्ट्रीय इमरजेंसी एक्ट की धारा 202 डी के तहत 15 मार्च 1995 को लागू की गई राष्ट्रीय इमरजेंसी को 15 मार्च 2021 से ए क वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बाइडेन ने कहा है कि ईरान की गतिविधियां एवं उसकी नीतियां अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर स्थाई खतरा है। उन्होंने ईरान पर परमाणु अस्त्र-शस्त्र तैयार करने और आतंकवादी संगठनों की सहायता करने का आरोप लगाया है।

इंकलाब (6 मार्च) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने यह घोषणा की है कि परमाणु संधि पर अमेरिकी अधिकारियों ने जो प्रस्ताव पास किया है उसे ईरान कबूल नहीं करता और अब इस समझौते के बारे में किसी तरह की नई वार्ता शुरू नहीं की जाएगी। जवाद जरीफ अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन के उस दावे का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2021 में इस सारे क्षेत्र की स्थिति बदल गई है। इसलिए ईरान के साथ परमाणु संधि की नई शर्तों के बारे में बातचीत होनी चाहिए। यह 2021 है 2015 नहीं। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 1945 के हालात और 2021 के हालात में बहुत फर्क है।

ज्ञातव्य है कि परमाणु समझौते पर 2015 में ईरान और पांच अन्य देशों के साथ-साथ जर्मनी ने भी हस्ताक्षर किए थे। मगर जनवरी 2016 में अमेरिका इससे एकतरफा अलग हो गया। दूसरी ओर विश्व परमाणु ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक रफाइल गरोस्सी ने कहा है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों को अपने परमाणु संस्थानों का निरीक्षण की अनुमति देने से पूर्व अनेक स्पष्टीकरण मांगे हैं। इससे पूर्व ईरान ने यूरेनियम के संवर्द्धन के संबंध में किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ईरान ने एक कानून बनाकर अपने परमाणु संस्थानों की संयुक्त राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षकों द्वारा जांच की अनुमति देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद जर्मनी फ्रांस ओर ब्रिटेन ने ईरान के इस कदम की निंदा की थी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा संस्थान द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में इस बात का वायदा किया गया था कि अगर ईरान अपने परमाणु हथियारों की तैयारी की प्रक्रिया को रोक दे तो उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को नरम किया जा सकता है। मगर बाद में पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका को एकतरफा समझौते से अलग कर दिया और ईरान पर और अधिक कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद ईरान ने भी अपने यूरोनियम ऊर्जा के कार्यक्रम को तेज कर दिया मगर अब नए राष्ट्रपति के प्रशासन ने यह घोषणा करके नई आशा उत्पन्न कर दी है कि सभी पक्ष इस समझौते को बचाने के लिए बातचीत करने के लक्ष्य से पुनः जमा हो सकते हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री ने यह आशा व्यक्त की है कि इस

मामले में यदि सभी लोग प्रयास करें तो नया समझौता खोजा जा सकता है।

इंकलाब (8 मार्च) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति डॉ. हसन रूहानी ने तेहरान में आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन कोवनी से मुलाकात के बाद कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को चाहिए कि वह अमेरिका द्वारा ईरान के साथ किए गए समझौते से एक पक्षीय किनारा करने के सिलसिले में अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि ईरान अभी तक इस परमाणु संधि को लागू कर रहा है और इस संबंध मे वह काफी क्षति भी उठा चुका है। मगर क्षति उठाने का यह सिलसिला हम अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रख सकते। उनहोंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ ईरान का सहयोग पूर्णत: जारी है। हम चाहते हैं कि अमेरिका अपने गैरकानूनी और जालिमाना प्रतिबंधों को समाप्त करे और ईरान पर लगाए गए सारे प्रतिबंधों को वापस ले। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें फौरन वापस लिए जाएं।

हज पर जाने के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य

इंकलाब (4 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब की सरकार ने यह घोषणा की है कि इस वर्ष सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को हज करने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोविड का टीका लगवा रखा होगा। इस संबंध में सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है और कहा है कि हज का वीजा देने की यह महत्त्वपूर्ण शर्त होगी। अरब न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. तौफिक अल रबियाह ने 2021 की हज में शामिल होने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना वायरस का टीका लगवाना भी अनिवार्य घोषित किया है। इस वर्ष लगभग एक करोड़ लोगों के हज में भाग लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गत वर्ष कोरोना के कारण हज करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। बाद में कुछ लोगों को सीमित संख्या में उमरा करने की अनुमति दी गई थी।

सऊदी अरब के सरकारी बयान में यह कहा गया है कि 2021 में हज के लिए मक्का, मदीना एवं अन्य पवित्र स्थानों और देश में प्रवेश करने के केन्द्रों पर कोविड की रक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था करनी होगी ताकि इस महामारी से हाजियों और सऊदी अरब के लोगों की रक्षा की जा सके। हज और उमरा के लिए एक टीकाकरण कमेटी बनवाई जा रही है, जिसमें शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद अल अब्दुल अली ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जो लोग टीका लगवाएंगे उन्हें उसके बाद दो या तीन हफ्ते अलग गुजारने होंगे। इसके बाद वे यदि कोरोना से प्रभावित किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी उन्हें क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होगी। सऊदी अरब में अब तक तीन लाख 86 हजार लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। जबकि 6505 लोगों की मौत हुई है। सऊदी सरकार की ओर से नागरिकों और अन्य लोगों में कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाने का सिलसिला जारी है। अब तक 8 लाख 85 हजार लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं।

अन्य

मलेशिया में गैर मुस्लिमों को अल्लाह शब्द इस्तेमाल करने की अनुमति

इंकलाब (12 मार्च) के अनुसार मलेशिया के एक न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि अब गैर मुसलमान भी इस मुस्लिम बहुल देश में अल्लाह शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मुस्लिम बहुल देश में गैर मुसलमानों द्वारा अल्लाह शब्द के इस्तेमाल पर लंबे समय से प्रतिबंध चला आ रहा है। मलेशिया की कट्टरपंथी मुस्लिम जमातों ने न्यायालय के इस आदेश की निंदा की है और सरकार से मांग की है कि इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए।

ज्ञातव्य है कि मलेशिया सरकार ने 35 वर्ष पहले ईसाईयों की किताबों में अल्लाह शब्द सहित अरबी जुबान के तीन अन्य शब्दों को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किंतु न्यायालय ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया था। मलेशिया सरकार की यह मान्यता रही है कि अगर ईसाई या अन्य धर्मों को मानने वाले अपनी पुस्तकों में अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुसलमान भ्रांति का शिकार होकर धर्मांतरण कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का प्रतिबंध अन्य मुस्लिम देशों में नहीं है। मलेशिया के ईसाई इस प्रतिबंध का विरोध करते आ रहे हैं। उनका कथन है कि देश की ईसाई आबादी जो मलाई भाषा बोलती है वह अरबी पर आधारित है। मलेशिया की संघीय सरकार ने 2014 में रोमन कैथोलिक चर्च की ओर से दायर एक याचिका को रद्द कर दिया था, जिसमें मलाई भाषा में प्रकाशित किए जाने वाले न्यूज लेटर में अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। परंतु न्यायालय ने इस पाबंदी को बरकरार रखा। 3 करोड़ 20 लाख से अधिक आबादी वाले मलेशिया में 61 प्रतिशत मुसलमान, 20 प्रतिशत बौद्ध और दस प्रतिशत ईसाई हैं। मलेशिया सरकार ने जिन अन्य अरबी शब्दों के गैर मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा रखा है उनमें काबा, बैतुल्लाह और सलावत शामिल हैं। ■

इस्लामिक पुरावशेषों की नीलामी पर प्रतिबंध

इंकलाब (12 मार्च) के अनुसार यरूशलम में इस्लामी कला संग्रहालय द्वारा इस्लामिक कलाकृतियों की नीलामी जनाक्रोश के कारण रोक दी गई है। संग्रहालय को इस नीलामी से करोड़ों डॉलर आय होने की आशा थी। अब इन 278 कलाकृतियों को ब्रिटेन का सबसे बड़ा नीलाम घर सोदबी इनको वापस म्यूजियम फॉर इस्लामिक आर्ट (यरूशलम) भेजेगा। विशेषज्ञों का दावा है कि जब येरूशलम में इस संग्रहालय को स्थापित किया था तो इसको स्थापित करने वालों ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि ये इस्लामिक कलाकृतियां उनके लिए उपलब्ध रहेंगी। अब अगर इनको नीलाम किया गया तो इसे प्राइवेट संग्रहकर्ता हड़प लेंगे। ये संग्रहालय 1960 में ब्रिटेन के एक यहूदी पूंजीपति और कलाकृति संग्रहकर्ता सोलोमन वारिस ने स्थापित किया था। इस संग्रहालय में सातवीं से 19वीं शताब्दी की 268 अनुपम इस्लामिक कलाकृतियां हैं। ■

सऊदी युवराज को भारत आने का निमंत्रण

सहाफत (12 मार्च) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें एक बार पुनः भारत का दौरा करने का निमंत्रण दिया। मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सऊदी अरब द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार और पूंजी निवेश में वृद्धि की जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेता इस बात पर रजामंद हुए हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच 2019 में जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था उस दिशा में हुए विकास का पुनरीक्षण किया जाए और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और भी बढ़ाया जाए और ऐसे क्षेत्रों को भी खोजा जाए, जिनमें दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाया जा सकता है।

तेलंगाना वक्फ बोर्ड की आय में 109 करोड़ की वृद्धि

इत्तेमाद (24 फरवरी) तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अपनी स्थापना के चार वर्ष पूरे कर लिए हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम के अनुसार पिछले वर्षों में न केवल बोर्ड की आय में

भारी वृद्धि हुई है बल्कि 115 भूखंडों को भी अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया है। वक्फ फंड से 32 करोड़ 8 लाख रुपये प्राप्त हुए। जबकि वक्फ से संबंधित संपत्तियों से 70 करोड़ 63 लाख की आय हुई। सरकार

ने अनुदान के रूप में 196 करोड़ प्रदान किए। गत चार वर्षों में बड़ी दरगाहों में होने वाली आय की नीलामी से बोर्ड को 33 करोड़ 54 लाख प्राप्त हुए। वक्फ बोर्ड को चार वर्षों में किराए से 19 करोड़ की आय हुई। जबकि फतवा विभाग से 7 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। 115 अवैध पंजीकरण रद्द किए गए हैं।

जिन महत्त्वपूर्ण दरगाहों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाया गया है उनमें अतापुर की दरगाह मीर महमूद, मस्जिद आलमगीर (बेगमपेट), असुरखाना (अली सेफ), दरगाह सेफ, नवाज जंग और वायसराय होटल की वक्फ संपत्ति शमिल हैं। सात गैर आबाद मस्जिदों को पुनः आबाद किया गया है। अनीस उल गुर्बा परिसर के निर्माण पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

जामिया निजामिया में 14 करोड़ की लागत से एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। मक्का मस्जिद की मरम्मत पर आठ लाख और दरगाह हजरत जहांगीर के विकास पर 50 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। दस हजार इमामों और मोअज्जिनों को पांच-पांच हजार का मासिक भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की विख्यात दरगाह हजरत युसूफैन की मस्जिद की मरम्मत के लिए विशेष योजना बनाई गई है।

नाइजीरिया में अपहृत छात्राएं रिहा

रोजनामा सहारा (3 मार्च) के अनुसार नाइजीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा एक आवासीय स्कूल से अपहरण की गई सभी 279 मुस्लिम छात्राओं को रिहा करवा लिया गया है। नाइजीरिया की सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन छात्राओं का जबरन अपहरण करने वाला संगठन कौन सा था। सरकारी प्रवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डालने से इनकार कर दिया कि इन अपहृत लड़कियों की रिहाई किस तरह से हुई है। ज्ञातव्य है कि गत दिनों नाइजीरिया की रियासत जामफारा के एक आवासीय स्कूल पर सशस्त्र गिरोह ने धावा बोल दिया था और सैकड़ों छात्राओं का अपहरण कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अभी नाइजीरिया में गुलामी की प्रथा कुछ क्षेत्रों में चल रही है। यह कहना कठिन है कि इन लड़कियों का अपहरण किस लक्ष्य से किया गया था?

RNI No. DELHIN/2017/72722

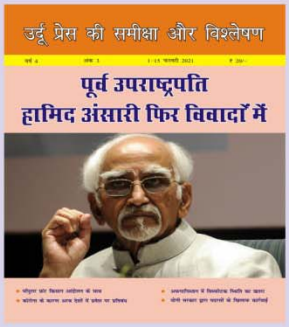

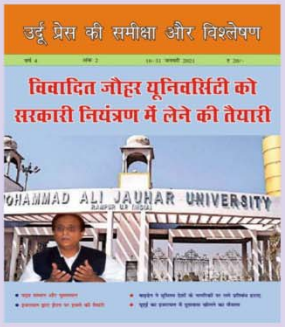

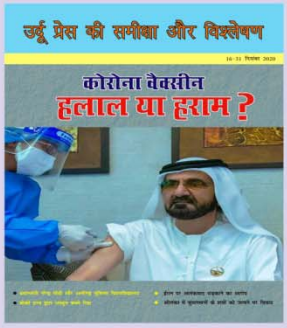

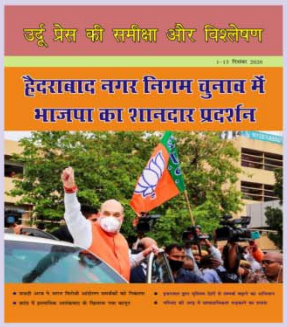

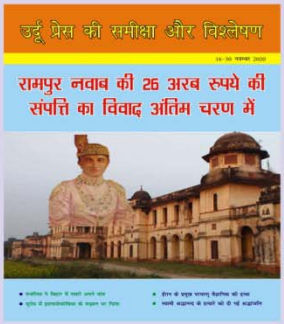

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, वेबसाइट : indiapolicy@gmail.com